न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या – 91/2022

प्रार्थी :– चेनाराम पुत्र नरसिंगाराम जाति मेघवाल निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. कुंभाराम पुत्र डायाराम जाति मेघवाल
2. खेताराम पुत्र डायाराम जाति मेघवाल
3. परखाराम पुत्र डायाराम जाति मेघवाल निवासीगण रामदेव नगर कुसीप तहसील सिवाना जिला बाडमेर
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से वकील भरत गहलोत उपस्थित
विप्रार्थीगण 1 ता 3 की ओर से वकिल खुशवन्त सिंह उपस्थित

:: आदेश ::

दिनांक :– 23-09-22

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया हैं प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार है –

कि ग्राम रामदेव नगर पटवार हल्का कुसीप तहसील सिवाना जिला बाडमेर में प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1297/137 रकबा 1.8373 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जो प्रार्थी के नाम नयी खेवट खतौनी में दर्ज है। उक्त खेत के मुल खसरा संख्या 137 के प्रार्थी के हक पुर्वाधिकारी व विप्रार्थीगण ने कब्जा काश्त अनुसार तरमीम करने हेतु हल्का पटवारी को कहा लेकिन पटवारी ने मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम न कर मनमाफिक व बीना किसी न्यायालय के आदेश से रेकर्ड में गलत तोर से तरमीम कर दी जबकी मौके पर खेत के मुल खसरा सख्या 137 के बदिशा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

पुर्वी तरफ प्रार्थी का व पश्चिमी तरफ विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की रहवासीय ढाणीया बनी हुई है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त नक्शा तरमीम के दौरान त्रुटिवंश कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम न कर उतरी तरफ का हिस्सा प्रार्थी का व दक्षिणी तरफ का हिस्सा दर्शा कर नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर दिया, जो कि त्रुटी युक्त है।

कि उक्त वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस में हल्का पटवारी द्वारा कब्जा काश्त अनुसार तरमीम करना था, लेकिन त्रुटिवंश राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त तरमीम में सहवन से उतरी तरफ प्रार्थी का हिस्सा व दक्षिणी तरफ विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा दर्शाया गया। जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। उक्त त्रुटि को शुद्धि किया जा सकता है तथा नक्शा में त्रुटिवंश जो इन्द्राज करना था, सहवन से रह गया है जिसको दुरुस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 आर.एल.आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। जो दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के सम्बन्ध मे विस्तृत जांच कर रिपोर्ट मंगवाई गई। विप्रार्थीगण 1 ता 3 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर सहमती दे दी, तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 23.09.2022 को विस्तृत जांच रिपोर्ट मय जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई बहस के दोरान प्रार्थी वकिल ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोराते हुऐ निवेदन किया की खेत खसरा संख्या 1297/137 रकबा 1.8373 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। उक्त खेत के मुल खसरा संख्या 137 के प्रार्थी के हक पुर्वाधिकारी व विप्रार्थीगण ने कब्जा काश्त अनुसार तरमीम करने हेतु हल्का पटवारी को कहा लेकिन पटवारी ने मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम न कर मनमाफिक व बीना किसी न्यायालय के आदेश से रेकर्ड में गलत तोर से तरमीम करदी जबकी मौके पर खेत के मुल खसरा सख्या 137 के बदिशा पुर्वी तरफ प्रार्थी का व पश्चिमी तरफ विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की रहवासीय ढाणीया बनी हुई है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त नक्शा तरमीम के दौरान त्रुटिवंश कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम न कर उतरी तरफ का हिस्सा प्रार्थी का व दक्षिणी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तरफ का हिस्सा दर्शा कर नक्शा टेस में अमल दरामद कर दिया ,जो कि त्रुटी युक्त है। जिसकी ताइद विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने अपनी जांच रिपोर्ट मय जवाब के तथ्यो में भी प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है अर्थात प्रार्थी का खेत खसरा संख्या वर्तमान नक्शे के तरमीम के दोरान त्रुटीवश तरमीम होना प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र को सिद्ध करने में सफल रहा, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 4 को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा रामदेव नगर में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1297/137 व विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा संख्या 1298/137 की पुर्व में हुई तरमीम को निरस्त कर, तहसीलदार सिवाना के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा अनुसार दुरूस्ती की जाकर लठ्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्धि की जाकर आवश्यक इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना – अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 23.9.22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)